

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट—आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उदयपुरा—गैरतगंज एवं घाटपिपलिया—नकतरा तक आवेदक विभाग SCO Reliance Jio Infocomm Ltd D.B. City MP Nagar Bhopal द्वारा मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने से सुदूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधा का लाभ मिलेगा तथा प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन रोड के किनारे (राईट ऑफ वे) के तहत डाली जावेगी जिस कारण किसी भी वृक्ष का काटे जाना प्रस्तावित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित स्थल के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतः आवेदक विभाग को 0.8138 हेक्टेयर वनभूमि मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु उपयोग पर दिये जाने की इस कार्यालय द्वारा अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि : 27.6.2019

स्थान : रायसेन

हस्ताक्षर



नाम— राजेश कुमार खरे

(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वन मण्डल रायसेन